

न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर

प्रा.पत्र/12/2019

पंजाब एण्ड सिंध बैंक शाखा नई मण्डी स्टेशन रोड भरतपुर जरिये प्राधिकृत अधिकारी  
.....प्रार्थी सिक्क्योर क्रेडिटर

बनाम

- 1-श्री नेमीचन्द जाटव पुत्र डालचन्द जाटव, निवासी प्लॉट नं. 344 गणेश नगर भरतपुर  
.....अप्रार्थी ऋणी
- 2-श्रीमती केसमती पत्नी नेमीचन्द जाटव, निवासी प्लॉट नं. 344 गणेश नगर भरतपुर  
.....अप्रार्थी गारन्टर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 सिक्क्योरिटाईजेशन एण्ड रीकनस्ट्रक्शन  
ऑफ फाइनान्सियल एनफोर्समेन्ट ऑफ इन्टरस्ट एक्ट 2002

आदेश

दिनांक 7.2.2019

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र विरुद्ध अप्रार्थी अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय अस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूतिकरण प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत विरुद्ध अप्रार्थी ऋणी से बंधक सम्पत्ति का कब्जा दिलाये जाने प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि अप्रार्थी ने दिनांक 30-1-2015 को प्रार्थी बैंक से 600000/- रुपये की ऋण सुविधा ली थी। उक्त प्राप्त ऋण सुविधा के एवज में अप्रार्थी ने प्लॉट नं. 344 गणेश नगर, भरतपुर स्थित आवासीय सम्पत्ति (क्षेत्रफल 195.30 वर्ग गज) है जिसके पूर्व में रोड़, पश्चिम में-प्लॉट नं.350, उत्तर में -प्लॉट नं.345 व 346, दक्षिण में- प्लॉट नं. 322, को प्रार्थी बैंक के हक में बंधक किया था व बंधक विलेख निष्पादित किया था।

अप्रार्थी के द्वारा ऋण राशि एवं ब्याज राशि को समय अवधि में जमा नहीं कराई गई, जिसके कारण अप्रार्थी/ऋणी के खाता को दिनांक 31.12.2017 को एन.पी.ए.(अनर्जक परिसम्पत्ति) घोषित कर दिया गया। प्रार्थी बैंक के दिनांक 31.12.2017 तक 604210.20/- रुपये ब्याज एवं अन्य खर्च अप्रार्थी पर बकाया निकलता है। जिसको अप्रार्थी ऋणी के द्वारा जमा नहीं कराया गया है। प्रार्थी बैंक द्वारा एक्ट की धारा 13 (2) का नोटिस दिनांक 18-1-2018 को अप्रार्थी को बकाया ऋण अदायगी हेतु जारी किया गया और उनसे आग्रह किया गया कि वह इस नोटिस की प्राप्ति के 60 दिवस के अन्दर समस्त बकाया रकम को मय ब्याज अदा करें। किन्तु अप्रार्थी द्वारा निर्धारित समय अवधि 60 दिवस के बाद भी कोई राशि जमा नहीं की गई है। बैंक द्वारा ऋण राशि एवं देय ब्याज राशि की अदायगी हेतु सभी प्रयास करने के बावजूद भी ऋणी द्वारा ऋण राशि अदायगी नहीं की गई है। अतः ऋण सुविधा प्राप्त करते समय बन्धक रखी गई उपर्युक्त सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने की प्रार्थना की गई है।

सत्यमेव जयते

पत्रावली का अवलोकन किया गया। उक्त प्राप्त ऋण सुविधा के एवज में अप्रार्थी/ऋणी ने उपर्युक्त सम्पत्तियों को प्रार्थी के हक में बंधक किया था व बंधक विलेख निष्पादित किया था। प्रार्थी बैंक द्वारा एक्ट की धारा- 13(2) का नोटिस दिनांक 18-1-2018 अप्रार्थी को बकाया ऋण अदायगी हेतु जारी किये गये, तथा उक्त नोटिस की निर्धारित समय अवधि 60 दिवस के बाद भी अप्रार्थी द्वारा राशि जमा नहीं की गई है। बैंक द्वारा ऋण राशि

.....2

जिला कलक्टर  
भरतपुर (मिजो)

(2)

प्रा.पत्र/12/2019

पंजाब एण्ड सिन्ध बैंक बनाम नेमीचन्द वगैरे

एवं देय ब्याज राशि की अदायगी हेतु सभी प्रयास करने के बाबजूद भी अप्रार्थी ऋणी द्वारा ऋण राशि अदायगी नहीं की गई है। बैंक के द्वारा वसूली हेतु सभी तरह के प्रयास के बाबजूद राशि नहीं चुकाने पर अन्तिम रूप से उक्त एक्ट की धारा 14 के तहत यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में अप्रार्थीया/ऋणी के द्वारा ऋण सुविधा लेते समय बन्धक रखी गई उपर्युक्त अचल सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने के लिये प्रार्थी बैंक को जरिये प्रतिनिधि अधिकृत किया जाना उचित पाते हैं।

अतः आदेश है कि :-

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर आदेशित किया जाता है कि अप्रार्थी0 द्वारा प्रार्थी बैंक से ऋण सुविधा लेते समय उक्त प्राप्त ऋण सुविधा के ऐवज में अप्रार्थी0 ने प्लॉट नं. 344 गणेश नगर,भरतपुर स्थित आवासीय सम्पत्ति (क्षेत्रफल 195.30 वर्ग गज) है जिसके पूर्व में रोड़, पश्चिम में प्लॉट नं.350, उत्तर में -प्लॉट नं.345 व346, दक्षिण में- प्लॉट नं. 322, को प्रार्थी बैंक के हक में बंधक किया था व बंधक विलेख निष्पादित किये थे उसका भौतिक कब्जा लेने हेतु प्रार्थी बैंक को जरिये प्रतिनिधि अधिकृत किया जाता है। निर्णय की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक भरतपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित की जाती है कि प्रार्थी के खर्च पर उनकी आवश्यकतानुसार चाहे जाने पर पुलिस सहायता उपलब्ध कराई जावे।



डॉ. आरुषी मलिक )  
जिला मजिस्ट्रेट एवं कलक्टर  
भरतपुर

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official